(b) The amount of telephone bill arrears as on 31-12-1981 (including outstandings in respect of bills issued during December, 1981) was about Rs. 45 crores.

(c) During each month, the Department issues bills to the extent of Rs. 55 to 60 crores ia 3 batches on 1st, llth and 21st. The bills issued on the 21st of the month do not become due for payment by tlie end of the month. Thus nearly Rs, 18 to 20 crores of bills shown as arrears at the close of March] December, 1981 had really not become due for payment during March |December, 1981. The *rest of the amount represents the cumulative arrears in respect of all the bills issued over several years upto the period indicated.

The P and T Department provides service first and recovers the charges later in respect of Trunk and Local Calls, including Phonograms and Overseas calls etc. Though the department recover more than 95 percent of the bills issued within a period of 3 months, a small percentage remains outstanding due to various factors such as, subscribers disputing the bills cases taken to the court by the subscribers for one reason or the other, the subscribers absconding after availing of the servictes etc.

(d) There are no cases of parties who are in arrears of more than Rs. 50 lakhs.

द्वितीय राष्ट्रीय कोयला मंजूरी समझौता

649. **श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 अगस्त, 1979 को किया गया द्वितीय राष्ट्रीय कोयला मजूरी समझौता देश की सभी कोयला खानों पर लागू होता है ;

(ख) क्या सरकार की नीति देश में सभी श्रेणी के कोयला श्रमिकों को समान वेतन और अन्य सुविधाएं देने की है ; और

(ग) यदि हां, तो सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट तथा कोल इंडिया लिमिटेड के श्रमिकों के समान ही अन्य कोयला कंपनियों के सभी श्रेणियों के श्रमिकों को ये सुविधाएं न दिये जाने के क्या कारण हैं जब कि इन श्रमिकों का कार्य और जिम्मेदारियां अन्य कोयला कंपनियों के समान ही हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता -II में प्रावधान किया गया है, एक ही वर्ग के कामगारों को एक समान वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं।

(ग) सरकार को ऐसे किसी भी पक्षपात के बारे में जानकारी नहीं है।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के चिरमिरी क्षेत्र में भंडार मदों की चोरी

650. **श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1981 के महीने में वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के चिरमिरी क्षेत्र में लाखों रुपये के मूल्य के केबल, तांबे के तार, मशीन, ईंट, चारदृक भरा एक्सप्लोसिव, और एल्युमिनियम तांबे की छड़ें, ए० सी० शीट आदि की चोरी होने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं ; और